हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

26.12.2019 प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित राज पैराकार उपस्थित उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र को विस्तृत रूप से दोहराते हुए कथन किया कि चक नम्बर 5 एम.डब्ल्यू. के पत्थर नम्बर 152/340 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा रास्ता राजस्व रिकार्ड मे स्वीकृत है। इस रास्ता की किसी को आवश्यकता ना होनें से यह रास्ता कभी चालू नही रहा है। ऐसे में प्रार्थीगण को इस रास्ता का ज्ञान नही रहा है, व नाही ही कभी किसी ने रास्ता के बारे मे कोई एतराज किया है।

पत्थर नम्बर 150/340 व पत्थर नम्बर 151/340 रिकार्ड मे नर्सरी दर्ज है पर मौका पर गांव मटोरिया वाली ढाणी आबाद है। जसकी गलियां पक्की बनी हुई है, व आबादी भूमि की सीमा में गांव की फिरनी छोडी हुई है। ऐसे में जब आबादी भूमि की फिरनी पत्थर नम्बर 151/340 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में पूर्व सीव पर छोडी हुई है तो चिपते ही पत्थर नम्बर 152/340 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में दो दो बिस्वा रास्ता का कोई औचित्य नही रह जाता है, ऐसे में यह रास्ता अनावश्यक हो चुका होनें से कभी चला ही नहीं ना ही किसी की काम आयेगा क्योकि आबादी भूमि से निकलनें के रास्ते खेतों की ओर जाते है। ऐसे में अगर अनावश्यक रास्ता को किसी वजह से खुलवा दिया जाता है, तो प्रार्थीयान का जीवन बर्बाद हो जावेगा।

अतः चक नम्बर 5 एम.डब्ल्यू. के पत्थर नम्बर 152/340 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत है, को निरस्त किया जाकर प्रार्थीयान को नियमानुसार स्मालपेच में अलाट किया जावे।

राज पैरोकार द्वारा दौरानें बहस प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए भविष्य में रास्ते की आवश्यक्ता को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थना खारिज करनें हेतु निवेदन किया।

समायत बहस का मनन किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. (23) 2016 पेज 201 ता 207 का न्यायिक मस्तिक से अध्यन्न किया बाद अध्यन्न पाया कि शर्त संख्या 8 (2) शर्त 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी रास्ता स्वीकृत कर सकता है, परन्तु गैर मुमकिन रास्ता को निरस्त करनें का अधिकार प्राप्त नहीं है।

धारा 88 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अनुसार समस्त सड़क तथा समस्त भूमि जो अन्य किसी की सम्पत्ति नहीं है वह राज्य सरकार की सम्पत्ति है। प्रश्नागत रास्ता राज्य सरकार का है। इसको निरस्त करवाने का अधिकार प्रार्थी को नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 (6) के तहत सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर किसी को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है।

गैर मुमकिन रास्ता सामान्यजन के उपयोग तथा उपभोग हेतु राज्य सरकार की सम्पत्ति है। जिसकी मालिक राज्य सरकार है। जिसमें सार्वजनिक उपयोग एवं उपभोग में किसी भी प्रकार से कोई बाधा अथवा अड़चन पैदा नहीं की जा सकती है।

अतः उक्त न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. (23) 2016 पेज 201 ता 207 के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं पाये जाने कारण स्वीकार योग्य नहीं पाये जानें कारण वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 26.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2020.01.02 13:43:00 IST
Reason: SelfAttested